बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक-

सं०-एम-4-48/2012(खंड-I)................/वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-30 का उपनियम-(xx) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(xx) GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियें एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से सभी विभागों द्वारा, आँवश्यकतानुसार की जायेगी । GeM Portal से सामग्रियें का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(क) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्त्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹50,000/- तक GeM Portal पर उपलब्ध किसी भी आपूर्त्तिकर्ता के माध्यम से ।

(ख) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्त्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹50,000/- से अधिक एवं ₹30,00,000/- तक, कम से कम तीन विभिन्न निर्माताओं के उपलब्ध आपूर्तिकर्त्तो में से न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्त्ता के माध्यम से । सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से, GeM Portal पर उपलब्ध online bidding एवं online reverse auction का उपयोग भी इसके लिए किया जा सकता है ।

(ग) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्त्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹30,00,000/- से अधिक के लिए, अनिवार्य रूप से निविदा द्वारा GeM Portal पर उपलब्ध online bidding एवं online reverse auction का उपयोग करते हुए न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्ता से ।

(घ) GeM Portal के Terms एवं Condition के अनुसार सभी विक्रेताओं एवं Portal पर निबंधित अन्य विक्रेताओं को, और जिन्होंने अपनी विशिष्ट सामग्रियें/सेवा कोटि के अधीन ऑफर दिये हो, online bidding एवं online reverse auction हेतु आमंत्रण उपलब्ध होगा ।

(ङ) उपरोक्त आर्थिक अधिकतम सीमा केवल GeM Portal के माध्यम से क्रय पर लागू होंगे । GeM Portal से बाहर क्रय के लिए, यदि कोई हो, तो बिहार वित्त नियमावली, 1950 के सुसंगत नियम लागू होंगे ।

(च) सरकारी क्रेता, आपूर्त्ति आदेश/क्रयादेश निर्गत करने के पूर्व, GeM पर उपलब्ध Business Analytics (BA) तकनीक का प्रयोग करते हुए, GeM Portal पर अंतिम रूप में अंकित क्रय राशि जिसमें विभाग द्वारा पूर्व में क्रय की गई राशि शामिल हो, के द्वारा उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकेंगे ।

(छ) कुल मांगो के आकलित मूल्य के संदर्भ में, GeM Portal पर L1 खरीद/ online bidding/online reverse auction अथवा आवश्यक उच्चतर पदाधिकारियो की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने हेतु वस्तुओं की मांग को छोटे टुकड़ो मे क्रय के लिए विभाजित नही किया जायेगा ।

(ज) उपर्युक्त खंड-(क) से (छ) के अनुसार GeM Portal से सामग्रियों के क्रय अथवा सेवा अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया राज्य में उस तिथि से लागू होगी, जो वित्त विभाग द्वारा इस हेतु अधिसूचित की जाय और विभिन्न स्तर के कार्यालयों हेतु विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेगी ।

(झ) आपवादिक परिस्थितियों में, यथा-अतिविशिष्ट व्यक्तियों का राज्य में प्ररिभ्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा यथा-बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति में जहां सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति तुरंत आवश्यक हो वहाँ सक्षम प्राधिकार यथा-राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी की मंजूरी प्राप्त कर GeM Portal से बाहर भी खरीददारी की जा सकेगी ।

(ञ) Online Portal Government e-Market Place (GeM) से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभाग अनुषांगिक कार्रवाई हेतु आवश्यक मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगा ।" ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)..................../वि०   पटना, दिनांक...............

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)......9230....../वि०   पटना, दिनांक..27/11/17..

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)
27/11